न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– हरि राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0 :– 58/2019 **(225 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. कपूर पुत्र श्री हाकिम,
2. जगदीश पुत्र श्री हाकिम जाति अहीर निवासी ग्राम बडौदाकान तहसील कठूमर जिला अलवर राजस्थान,
3. विमला पुत्री श्री हाकिम पत्नि श्री रामसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम जांगरू,
4. श्यामवती बेवा श्री प्रहलाद,
5. रामा पुत्री श्री प्रहलाद,
6. रूकमणी पुत्री श्री प्रहलाद,
7. गजेन्द्र पुत्र श्री प्रहलाद नाबालिग जरिये सरपरस्त माता श्यामवती बेवा श्री प्रहलाद,
8. रामराज पुत्र श्री प्रहलाद नाबालिग जरिये सरपरस्त माता श्यामवती बेवा श्री प्रहलाद जाति अहीर निवासी ग्राम बडौदाकान तहसील कठूमर जिला अलवर राजस्थान

..... अपीलांटस

बनाम

1. पुनिया तथाकथित पुत्री श्री यादराम पत्नि श्री रामदयाल जाति अहीर निवासी ग्राम बडौदाकान तहसील कठूमर हाल निवासी ग्राम सीकरी तहसील नगर जिला भरतपुर राजस्थान,
2. कमला पुत्री श्री यादराम पत्नि श्री जगनलाल जाति अहीर निवासी ग्राम बडौदाकान हाल निवासी ग्राम ठेकड़ी तहसील कठूमर जिला अलवर राजस्थान,
3. उप पंजीयक कठूमर तहसील कठूमर जिला अलवर राजस्थान

..... रेस्पोडेण्टस

उपस्थित :–
1. श्री अमरचन्द चौधरी, अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री दशरथ सिंह नरूका, अभिभाषक रेस्पो0।

::: निर्णय :::

दिनांक :–04.03.2021

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी कठूमर के निर्णय दिनांक 12.12.2019 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 वादिनी संख्या 01 ने अपीलांटस के पूर्वज हाकिम व प्रहलाद मृतक के खिलाफ विवादित आराजी खसरा नंबर 427, 430, 431, 561, 562, 1432 वाके ग्राम बडौदाकान तहसील कठूमर जिला अलवर राजस्थान के बाबत एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस्तकरारहक,

दुरूस्ती इन्द्राज एवं हुक्मइम्तनाई दवामी का तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कठूमर जिला अलवर में पेश किया गया। जिस वाद में तहत अदालत द्वारा एकपक्षीय निर्णय व डिक्री दिनांक 10.05.2018 पारित किये गये। एकपक्षीय निर्णय व डिक्री की पुनः सुनवाई खुलवाने बाबत अपीलांटस की ओर से तहत अदालत के समक्ष प्रार्थना पत्र दिनांक 25.05.18 अंतर्गत आदेश 09 नियम 13 व धारा 151 जा.दी. पेश किया गया। जो प्रार्थना पत्र तहत अदालत द्वारा विधि विरूद्ध आलोच्य आदेश दिनांक 12.12.2019 पारित कर खारिज कर दिया। जिस आदेश से व्यथित व असंतुष्ट होकर अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया। तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी।

अपीलांट अभिभाषक ने बहस की शुरूआत करते हुए अपील के तथ्यों को दोहराया और अधीनस्थ न्यायालय में पेश प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 के तथ्यों का हवाला देते हुए कथन किया कि तहत अदालत द्वारा विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है। तहत अदालत द्वारा पारित उक्त आदेश के कारण विवादित आराजीयात में अपीलांट का हक प्रभावित हो रहा है। वाद विचारण के दौरान तहत अदालत में पैरवी हेतु अपीलांट की ओर से नियुक्त अधिवक्ता का निधन हो गया जिस कारण अपीलाटस को उक्त पारित आदेश की जानकारी ही नही हो पाई। अधिवक्ता द्वारा अपीलांट को कहा गया कि तहत अदालत को जब भी अपीलांट की जरूरत होगी वे उन्हें सूचना कर बुला लेंगे। अपीलांट ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति होने के कारण कानूनी प्रक्रिया की जानकारी नही होने से तहत अदालत में अधिवक्ता पर भरोसा करते रहे। चूंकि अधिवक्ता का स्वास्थ्य खराब होने के दौरान भी उन्होंने अपीलांट को इसकी कोई सूचना नही दी जिस कारण अपीलांट अदालत में पेश नही हुआ। अधिवक्ता की कैंसर से मृत्यु हो गई थी इस कारण निर्णय दिनांक 10.05.2018 की नकल लेने पर सर्वप्रथम जानकारी 10.05.2018 को हुई। अतः नेकनियति से हुई देरी के लिये आदेश 09 नियम 13 प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया। तहत अदालत द्वारा एकतरफा में अपना निर्णय व डिक्री पारित किया गया है। जबकि अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर ही नही मिला। विभिन्न न्यायालयों के अनेक दृष्टांतों में स्पष्ट मत है कि अधिवक्ता की लापरवाही का नुकसान पक्षकार को नही होना चाहिये। अपीलांट द्वारा तहत अदालत में पारित आदेश उपरान्त आदेश 09 नियम 13 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। तहत अदालत द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर गौर कर पक्षकार को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का उचित अवसर देते हुये निर्णय पारित किया जाना न्यायहित में आवश्यक था, परन्तु तहत अदालत द्वारा अपीलांट की एक्सपार्टी कर अपना निर्णय पारित किया है जिसमें भी प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 को खारिज करने के उचित आधार दर्ज नही किये हैं, जिस कारण अपीलांट तहत अदालत में न्याय से वंचित रहा है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय न्याय की श्रेणी में नही आता है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर निर्णय तहत अदालत दिनांक 12.12.2019 तथा आदेश 9 नियम 13 प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलांट को तहत अदालत में एक्स पार्टी आदेश को खारिज करते हुए सुनवाई का आदेश प्रदान करायें।

जबाव बहस में अभिभाषक रेस्पो0 का कथन है कि अपीलांट जानबूझकर तहत अदालत में मुकदमें में देरी करने की नियत से हाजिर ही नही हुआ, जबकि अपीलांट को तहत अदालत द्वारा सबूत साक्ष्य प्रस्तुत करने के अनेक अवसर दिये। अपीलांट द्वारा निर्णय की जानकारी होने के बाद भी मियाद बाहर उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया था। दिनांक 24.10.2016 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई थी व दिनांक 10.05.2018 को आदेश हुये, ऐसी स्थिति में लगभग डेढ वर्ष तक की हुई देरी का कोई संतोषजनक कारण नही दिया। जब अपीलांट के अधिवक्ता की मृत्यु दिनांक 10.02.2017 को हो गई थी तब भी लगभग 09 माह तक क्यों चुप बैठे रहे, जिससे भी अपीलांट की लापरवाही जाहिर होती है। अपीलांट येनकेन मुकदमा को लम्बा खींच कर प्रकरण में स्थगन को जारी रखवाना चाहते हैं। तहत अदालत द्वारा विधिसम्मत, कानूनी प्रावधानों के अनुरूप अपना निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा इस संबंध में निम्न कानूनी दृष्टांत पेश किये–

(1)डीएनजे 2010(1)(राज.)201 (2)1998डीएनजे(एससी)49 (3)आरआरडी 1999 पे. 208।

अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट की ओर से निम्न कानूनी दृष्टांत पेश किये–

(1) 2017(1)सीजे (सिविल)राज. पेज367 (2) 2018(1)सीजे(सिविल) पेज484 (3) 2017(1)सीजे(सिविल)राज. पेज230

हमने अभिभाषक अपीलांट व रेस्पो0 के तर्को पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय का अवलोकन किया तथा रेकार्ड एवं पेश दस्तावेज व साक्ष्यों का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया गया।

तहत अदालत की आदेशिका का अवलोकन करने पर दिनांक 24.10.2016 को प्रतिवादी/अधिवक्ता प्रतिवादी उपस्थित न होने के कारण इकतरफा कार्यवाही की गई है। तत्पश्चात 19.12.2016 से 27.02.2018 तक पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 05.10.2016 की पालना में रही। तत्पश्चात 10.05.2018 को कैम्प कोर्ट में आदेश पारित किया गया।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलाण्ट अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत इसलिए चस्पा होते है क्योंकि अदालत मातहत द्वारा साबिक आदेश दिनांक 05.10.2016 की अवधि भी एक्स पार्टी अवधि में गिनकर बडे कठोर ढंग से मामले में कार्यवाही की। न्यायालयों को उदार दृष्टिकोण लेना चाहिए और वकील की गलती के लिए मुवक्किल को पीडित नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त कोर्ट को दूसरी पार्टी को देरी की क्षमा करने के लिए पर्याप्त कोस्ट के साथ 'एक्स पार्टी' खोलने का अधिकार है।

रेस्पोडेण्ट अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत इसलिए लागू नहीं होते क्योंकि अपील गुणावगुण के आधार पर निर्णित न होकर प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 के बिन्दु पर निर्णित की जा रही है। ना ही यहां पर एकपक्षीय डिक्री के अपास्त करने पर विचार किया जा रहा है।

यह सही है कि पक्षकारों को सावधान रहना चाहिये, परन्तु ग्रामीण परिवेश के पक्षकार कानून के प्रति इतने सजग नही होते हैं। वैसे भी पत्रावली दिनांक 19.12.2016 से 10.05.2018 तक साबिक आदेश 05.10.2016 की पालना में चलती रही। लगभग डेढ वर्ष तक पत्रावली में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नही हुई तो तहत अदालत को अपीलांट का

प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 13 में इस अवधि को छूट देने का विचार किया जाना चाहिये था। अगर इस अवधि को विचार किया जाता तो आदेश 09 नियम 13 का प्रार्थना पत्र विलम्ब की अवधि में मात्र 24.10.2018 को एक्सपार्टी व दिनांक 05.12.2018 को वादी की साक्ष्य की गई है, अर्थात दो तारीख पेशी की ही देरी हुई थी। जो आदेश 09 नियम 13 की अवधि को विचार करने के लिये पर्याप्त कारण थे। इस संदर्भ में विभिन्न न्यायालयों ने भी विनम्र रूख अपनाते हुये सिद्धान्त प्रतिपादित किये हैं कि वाद को गुणावगुण के आधार पर निस्तारण करना चाहिये न कि तकनीकि आधार पर। गुणावगुण के आधार हेतु संबंधित पक्षकारों को जबाव, साक्ष्य, व बहस का अवसर दिया जाना शामिल है। उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट काबिल स्वीकार के है।

अतः अपील अपीलांट रूपये 500 की कोस्ट के साथ स्वीकार की जाती है। विद्वान उपखण्ड अधिकारी कठूमर के निर्णय दिनांक 12.12.2019 खारिज किया जाता है। प्रकरण तहत अदालत में इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को वाद उनवान पुनिया बनाम हाकिम वाद संख्या 1/208/2002 में उपस्थिति दर्ज करें और जिस स्तर से एक्स पार्टी की गई उस स्तर से आगे की कार्यवाही में साक्ष्य, सुनवाई, जबाव, बहस इत्यादि का समुचित अवसर देते हुये गुणावगुण के आधार पर पुनः अपना निर्णय पारित करें। यदि अपीलांट बिना किसी न्यायोचित कारण के लगातार 02 तारीख पेशियों पर उपस्थित नही हो तो उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावे, ताकि प्रकरण के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब न हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें ।

उभयपक्षकारान को निर्देशित किया जाता है कि वे तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी कठूमर में आगामी तारीख पेशी दिनांक 22.04.2021 को उपस्थित हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय की प्रति मूल पत्रावली के साथ संलग्न कर तहत न्यायालय को उनकी पत्रावली प्रेषित की जावें ।

निर्णय आज दिनांक 04.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

04/03/21

(हरि राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर